

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.05.2024

दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- मुल्लर पुत्र चिरकुट हरिजन निवासी खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद 2- अंगद मौर्या पुत्र सीताराम निवासी निखरकपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता 1- रामपाल निषाद पुत्र गया निषाद निवासी बढ़या ठाठर 2- राजकुमार पुत्र जोखन यादव निवासी कौवाठोर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दहन राय, उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 मुरली मनोहर, का0 विवेक दांगी।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 वारण्टीगण नाम पता 1- निसार पुत्र केसुल्लाह साकिन गौरिया टोला(दुर्गजोत) 2- मीनक उर्फ झीनक पुत्र हकीकुल्ला साकिन दुर्गजोत थाना बखिरा 3- कुमारी उर्फ कलकतही पत्नी स्व0 ओरी साकिन चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शम्भूराम, उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, हे0का0 राधेश्याम वर्मा, का0 अंगद यादव, महिला आरक्षी नेहा सिंह।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 ओमशंकर, हो0चा0 अवधेश कुमार।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।